झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के माननीय अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी एवं माननीय सदस्या श्रीमती शबनम परवीन के दिनांक–25.07.203 से दिनांक–27.07.2023 तक गढ़वा एवं लातेहार जिले से सम्बन्धित भ्रमण प्रतिवेदन।

1. दिनांक–25.07.2023 को ग्राम–राजबांस एवं चपकली प्रखण्ड–चिनिया में औचक निरीक्षण।

- दिनांक–25.07.2023 को ग्राम–राजबांस, प्रखण्ड–चिनिया, जिला–गढ़वा में PVTG परिवारों को मिलने वाले अनाज से सम्बन्धित योजना का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि PVTG परिवारों को उनके आवास पर अनाज मुहैया नहीं कराया जा रहा है। बीच सड़क पर 50 कि0ग्रा0 के बोरे में अनाज लाकर लाभुकों के बीच राशन का वितरण किया जा रहा था। आयोग द्वारा पृच्छा करने पर अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा बताया गया कि जिले में DSD का टेंडर नहीं हुआ है, इसलिये लाभुकों के घर तक अनाज नहीं पहुंच पा रहा है। जहां DSD टेंडर नहीं हुआ है, वहां सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक व्यवस्था किया जा रहा है, इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा विभाग से पत्राचार किया जाएगा। लाभुकों के बीच डब्बा से माप कर चीनी का वितरण किया जा रहा है, जबकि तराजू–बटखरा से तौल कर दिया जाना चाहिए था। लाभुकों द्वारा बताया गया कि उन्हें प्रत्येक माह सीलबन्द बोरे में अनाज उपलब्ध कराया जाता रहा है। आयोग द्वारा लाभुकों के बीच राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत् संचालित विभिन्न योजनाओं आदि की जानकारी से सम्बन्धित आयोग द्वारा तैयार कराए गए बुकलेट वितरण कराते हुए कहा गया कि राशन वितरण में किसी प्रकार की गड़बड़ी अथवा शिकायत होने पर आयोग के वाट्सएप्प नं0 पर शिकायत दर्ज कराएँ। निरीक्षण के दौरान अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, अंचल अधिकारी आदि उपस्थित रहे।
- आयोग द्वारा ग्राम–चपकली, प्रखण्ड–चिनिया, जिला–गढ़वा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में लाभुकों द्वारा बताया गया कि उन्हें एक माह का राशन नहीं मिला है। आयोग द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गढ़वा को बकाया राशन उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया गया। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि राशन वितरण की तिथि निर्धारित कर, इसकी सूचना लाभुकों को प्रत्येक माह दी जाए। आयोग द्वारा लाभुकों के बीच

बुकलेट का वितरण कराते हुए कहा गया कि किसी प्रकार की गड़बड़ी अथवा शिकायत होने पर प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी अथवा पणन पदाधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज करें। शिकायत का निपटारा नहीं होने पर आयोग के वाट्सएप्प नं0 पर शिकायत दर्ज कराएं।

- श्री छोटे लाल, ग्रामीण, ग्राम–चपकली, प्रखण्ड–चिनिया, जिला–गढ़वा द्वारा बताया गया कि प्रखण्ड में आंगनबाड़ी केन्द्र ज्यादातर बन्द रहता है। विद्यालय में बच्चे एवं शिक्षक नियमित रूप से नहीं आते हैं। इस पर आयोग द्वारा अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया कि विद्यालयों में यदि बच्चे नियमित रूप से नहीं आ रहे हैं एवं मध्याह्न भोजन बन रहा है, तो इस सम्बन्ध में सम्बन्धित जिला स्तरीय पदाधिकारी को लिखित सूचना दी जाए, ताकि दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई की जा सके। आयोग द्वारा लाभुकों से कहा गया कि आंगनबाड़ी केन्द्र में लाभुकों को पोषाहार मिले एवं विद्यालयों में बच्चों को मेन्यू के अनुसार मध्याह्न भोजन मिले, इस पर निगरानी रखें। किसी प्रकार की गड़बड़ी पाये जाने पर आयोग के वाट्सएप्प नं0 पर शिकायत दर्ज करें।

2. गढ़वा जिला में दिनांक–26.07.2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक जनसुनवाई कार्यक्रम।

- दिनांक–26.07.2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक गढ़वा जिला के परिसदन भवन में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आयोग के अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी एवं सदस्या, श्रीमती शबनम परवीन के अतिरिक्त गढ़वा जिले के उपायुक्त, अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक आदि उपस्थित रहे। जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान आयोग में दर्ज लंबित शिकायतों की प्रति पुनः सम्बन्धित पदाधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए शीघ्र कार्रवाई करने एवं कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराने का निदेश दिया गया।

- जनसुनवाई में उपस्थित शिकायतकर्ता श्री जोगिन्दर उराँव, ग्राम+पंचायत–ओबरा, प्रखण्ड–बरडीहा द्वारा बताया गया कि राशन डीलर ललिता स्वयं सहायता समूह द्वारा 18 माह का राशन का गबन कर लिया गया है। इसकी शिकायत जिले में की गई है। यह भी शिकायत की गई कि राशन डीलर श्री सुनील उराँव द्वारा अंगूठा लगा कर नवंबर, 2022 में NFSA एवं दिसम्बर, 2022 में PMGKAY के राशन का वितरण नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा कहा गया कि जिन लाभुकों को अनाज उपलब्ध नहीं कराया गया है, उन लाभुकों को ट्रैक करना अधिकारियों की जिम्मेवारी है। आयोग लाभुकों को प्रशासनिक कमियों का खामियाजा भुगतने नहीं दे सकता है, उन्हें तत्काल राशन उपलब्ध कराया जाए। जिन लाभुकों के सामने भूखमरी की स्थिति है, तो उन लाभुकों को आकस्मिक खाद्यान्न कोष से राशन उपलब्ध कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया। अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा बताया गया कि 42 क्वींटल अनाज लाभुकों को उपलब्ध करा दिया गया है। शेष लाभुकों की सूची मंगाई गई है, उन्हें भी जल्द से जल्द बकाया राशन उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा उपस्थित शिकायतकर्ताओं से कहा गया कि ई–पॉस मशीन से निकलने वाले रसीद के अनुसार अनाज लें, बिना रसीद लिये अनाज नहीं लें एवं एडवांस में अंगूठा नहीं लगाएँ। आयोग द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी को मामले में जाँच कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए 07 दिनों के अन्दर कृत कार्रवाई प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
- ग्राम–चपकली, प्रखण्ड–चिनिया, जिला–गढ़वा में स्थलीय निरीक्षण के क्रम में लाभुकों द्वारा बताया गया कि विद्यालय में बच्चे एवं शिक्षक नियमित रूप से नहीं आते हैं। मामले में आयोग द्वारा स्थलीय निरीक्षण के दौरान उपस्थित अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया कि विद्यालयों में यदि बच्चे नियमित रूप से नहीं आ रहे हैं एवं मध्याह्न भोजन बन रहा है, तो इस सम्बन्ध में सम्बन्धित जिला स्तरीय पदाधिकारी को सूचना दी जाए। आयोग द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित जिला शिक्षा अधीक्षक, गढ़वा को भी मामले में आवश्यक कार्रवाई करते हुए आयोग को सूचित करने का निर्देश दिया गया।
- जनसुनवाई में उपस्थित श्री सत्यनारायण यादव, उपाध्यक्ष, जिला परिषद ग्राम–रमकंडा, थाना+प्रखण्ड–गढ़वा द्वारा बताया गया कि जिले के कई प्रखण्डों में नेटवर्क की समस्या होने के कारण लाभुक राशन से वंचित हो जाते हैं। नेटवर्क के लिये PDS दुकान से 2 कि0मी0 दूर पहाड़ी क्षेत्र में लाभुकों को जाना पड़ता है। इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा अधिकारियों से कहा गया कि जहाँ नेटवर्क की समस्या हो, वहाँ ऑफलाईन माध्यम से राशन का वितरण किया जाए। इस पर अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा बताया गया कि अपवाद पंजी के

माध्यम से राशन का वितरण करने से गड़बड़ी की आशंका बनी रहती है। जिन लाभुकों का अंगूठा ई–पॉस मशीन में नहीं लगता है, उन्हें ही अपवाद पंजी के माध्यम से राशन दिये जाने निदेश विभाग द्वारा दिया गया है। मामले में आयोग द्वारा विभाग से पत्राचार करने का निर्णय लिया गया। श्री यादव द्वारा यह भी बताया गया कि डीलर द्वारा राशन कम दिया जाता है। पूछने पर डीलर द्वारा कहा जाता है कि उन्हें गोदाम से ही राशन कम मिलता है। इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा कहा गया कि यदि डीलर को गोदाम से राशन कम मिलता है, तो वे भी आयोग में शिकायत दर्ज कराएँ।

- श्री गुलाम सरवर, सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा बताया गया कि मेराल, डंडई, नगर उंटारी एवं सगमा प्रखण्ड में मुसहर जाति के लोगों को राशन का लाभ नहीं मिल रहा है। उपायुक्त, गढ़वा द्वारा बताया गया कि जिले में लगभग 1200 मुसहर जाति के लोग हैं, सभी को योजना का लाभ दिलाने की दिशा में कोशिश की जा रहा है। उपायुक्त एवं अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं था, उनका राशन कार्ड नहीं बनाया जा सका था। जिला प्रशासन ने अवगत कराया कि 80–85 लोगों का आधार बनाने के बाद राशन कार्ड बना दिया गया है। आयोग जिला प्रशासन को निर्देश देता है कि जिन्हें राशन कार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है, आकस्मिक खाद्यान्न कोष से नियमित तौर पर उन्हें अनाज उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी ऐसे परिवार का अनाज के संकट में मौत होती है, तो इसका जिम्मेवार जिला प्रशासन होगा।
- श्री सोनू सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा बताया गया कि कांडी प्रखण्ड के जयनगरा पंचायत में कुल–88 जीवित लोगों को वर्ष–2016 में मृत घोषित कर दिया गया। अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा अवगत कराया गया कि 06 माह पूर्व सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया गया है। विभाग के प्रशासनिक कमियों एवं लापरवाही के कारण जीवित लोगों को मृत घोषित किया गया था। जाँच में इस बिन्दु की पुष्टि हुई कि गलत कारणों से जीवित लाभुकों को मृत घोषित किया गया था। अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा का कहना है कि ऐसे सभी लोगों का जीवित होने का प्रमाण के बाद योग्य लाभुकों का राशन कार्ड बना दिया गया है। ऐसे में आयोग निर्देश देता है कि इस मामले में वर्ष–2016 से अब

तक सभी पात्र लोगों, जिन्हें मृत घोषित कर उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया गया था, उन्हें वर्ष–2016 से खाद्य सुरक्षा भत्ता उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिन सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के लापरवाही के कारण लाभुकों को मृत घोषित किया गया था, उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई किया जाए।

- पिछले 18 माह से ओबरा पंचायत में राशन उपलब्ध नहीं कराने का मामला श्री सोनू सिंह द्वारा आयोग के संज्ञान में लाया गया है। हालांकि डीलर के विरूद्ध कार्रवाई की गई है, किन्तु प्रशासनिक लापरवाही के कारण लाभुकों को हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा ? खाद्य सुरक्षा में वैधानिक मुआवजा लागू होता है। ऐसे में आयोग अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा को निर्देश देता है कि जिन लाभुकों को राशन नहीं मिला है, उन्हें सवा गुणा मुआवजा उपलब्ध कराएँ। माह नवंबर एवं दिसम्बर, 2023 का भी राशन लाभुकों को उपलब्ध नहीं कराया गया है, इस मामले में भी सवा गुणा मुआवजा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। आयोग द्वारा उपरोक्त दोनों पंचायत के अलावे अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा को निर्देश देता है कि जिन्हें राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो उन्हें सवा गुणा मुआवजा उपलब्ध कराया जाए।
- श्री सोनू सिंह द्वारा आयोग से आग्रह किया गया कि गंभीर बिमारी होने पर लाभुकों के राशन कार्ड बनाने एवं नाम में सुधार करने का अधिकार जिले के अधिकारियों को दिया जाए, ताकि लाभुकों को सुविधा हो सके। इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा विभाग से पत्राचार किया जाएगा।
- श्री सोनू सिंह द्वारा आयोग से यह भी आग्रह किया गया कि टोल फ्री अथवा आयोग का वाट्सएप्प नं0 जिले के सभी राशन डीलर के दुकानों के बाहर अंकित किया जाए। साथ ही निगरानी समिति का गठन विभाग द्वारा किया गया है, समिति के कार्यों की स्थिति की निगरानी नहीं होती है। इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जनवितरण प्रणाली केन्द्र, विद्यालयों में एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों से सम्बन्धित सूचना हर पंचायत भवन के बाहर लगाना सुनिश्चित करें।
- जनसुनवाई में उपस्थित उपायुक्त, गढ़वा द्वारा बताया गया कि अनुमण्डल पदाधिकारी वर्तमान में चार प्रभार में हैं एवं Man power की बहुत कमी है। जिले में 50% पद रिक्त हैं। उपायुक्त, गढ़वा द्वारा अनुरोध किया गया कि इस मामले को आयोग संज्ञान में ले। अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि मामले को विभाग के संज्ञान में लाया जाएगा।
- आयोग द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित सभी पदाधिकारियों से आग्रह किया गया कि किसी भी व्यक्ति की भूख से मौत नहीं हो, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कई ऐसे लोग भी हैं, जो

केवल आयुषमान कार्ड बनाने के लिये राशन कार्ड बनाते हैं। ऐसे अयोग्य लोगों की पहचान कर उनका राशन कार्ड रद्द करें।

3. गढ़वा जिला में दिनांक–26.07.2023 को अपराह्न 02.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक जिले के पंचायतों के मुखिया के साथ संवाद।

- दिनांक–26.07.2023 को अपराह्न 02.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक गढ़वा जिला अन्तर्गत आने वाले प्रखण्डों के विभिन्न पंचायतों के मुखिया के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुखिया के साथ संवाद कार्यक्रम में जिले के 189 में से 111 पंचायतों के मुखियागण उपस्थित हुए। संवाद कार्यक्रम के दौरान आयोग के अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी एवं सदस्या, श्रीमती शबनम परवीन के अलावे गढ़वा जिले के अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला शिक्षा अधीक्षक, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, अंचल अधिकारी आदि उपस्थित रहे। सभी पदाधिकारियों द्वारा अपने–अपने विभाग के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित योजनाओं की जानकारी दी गई। अध्यक्ष श्री हिमांशु शेखर चौधरी द्वारा मुख्य रूप से योजनाओं के क्रियान्वयन में पंचायत एवं मुखिया की भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

आयोग की ओर से सभी मुखियागणों के बीच किट का वितरण किया गया, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत् संचालित योजनाओं यथा जनवितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से सम्बन्धित जानकारी दी गई है।

4. गढ़वा जिला अन्तर्गत आने वाले विभिन्न पंचायतों के मुखियागण द्वारा उठाये गये मामलों का समाधान

- पंचायत–खरौंधा, प्रखण्ड–कांडी, जिला–गढ़वा के 80 जीवित लोगों को मृत घोषित कर उनका राशन कार्ड रद्द कर दिये जाने सम्बन्धी मामले में आयोग द्वारा कहा गया कि वर्ष–2016 से अब तक जिन जीवित सुयोग्य लोगों को मृत घोषित कर उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया गया है, उन्हें पूरी अवधि का बकाया राशन का सवा गुणा मुआवजा उपलब्ध कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया।

- राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का नाम नहीं जोड़े जाने के मामले में आयोग द्वारा कार्डधारियों को इस हेतु ऑनलाइन आवेदन करने का निर्देश दिया गया।
- केतार प्रखण्ड के काफी लोगों द्वारा राशन कार्ड के लिये किया गया आवेदन लंबित रहने के मामले में आयोग द्वारा योग्य लोगों की सूची प्रखण्ड के अंचल अधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को भेजने हेतु निर्देश दिया गया।
- मुखिया संघ के अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि मुखियागण को आकस्मिक खाद्यान्न कोष की जानकारी नहीं है और न ही राशि उपलब्ध कराई गई है। यह एक गंभीर विषय है। इस सम्बन्ध में अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा बताया गया कि मुखियागण प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से मिल कर उन्हें पत्र दें।
- गढ़वा जिले के मझिआंव प्रखण्ड में हरा राशन कार्ड बनाने हेतु कैंप लगाये जाने के बाद भी अब तक किसी का राशन कार्ड नहीं बन पाने, जिले के काफी लोगों का राशन कार्ड में गलत नाम दर्ज रहने तथा लाभुकों का अंगूठा ई–पॉस मशीन में नहीं लग पाने के मामलों में आयोग द्वारा लिखित रूप में इसकी शिकायत दर्ज करने हेतु निर्देश दिया गया।
- प्रत्येक PDS दुकान के बाहर पणन पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का नं0 अंकित किये जाने एवं आंगनबाड़ी केन्द्र चला रही सेविकाओं को मानदेय नहीं मिल पाने के मामलों में आयोग द्वारा PDS दुकान के बाहर नं0 अंकित कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया। आंगनबाड़ी केन्द्र चला रही सेविकाओं के मानदेय के मामले में विभाग से पत्राचार किये जाने का आश्वासन दिया गया।
- गढ़वा प्रखण्ड के आंगनबाड़ी केन्द्र में बच्चों के बैठने के लिये स्थान होने एवं राशन कार्ड में नाम रहते हुए डीलर द्वारा राशन नहीं दिये जाने से सम्बन्धित विषय पर आयोग द्वारा शिकायतकर्ता को अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज करने हेतु कहा गया। आवेदन देने के एक माह के अन्दर समाधान नहीं होने पर आयोग के वाट्सएप्प नं0 पर शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया गया।
- नगर उंटारी प्रखण्ड में DSD द्वारा अनाज नहीं भेजे जाने एवं गोदाम में अनाज तौल कर नहीं दिये जाने के कारण डीलर को कम राशन मिलने के मामले में अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि गोदाम में Weight Bridge लगा हुआ है। डीलर अपने सामने तौल कर राशन का उठाव करें। आयोग द्वारा अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया कि मुखिया को

साथ में ले जा कर गोदाम में निरीक्षण कराएँ कि Weight Bridge लगा हुआ है या नहीं। शिकायत होने पर आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करें।

5. लातेहार जिला में दिनांक–27.07.2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक जनसुनवाई कार्यक्रम।

- जनसुनवाई में उपस्थित शिकायतकर्ता श्रीमती किरन देवी, ग्राम–कोसी, पो0–टुंगरू प्रखण्ड–बरवाडीह, जिला–लातेहार द्वारा की गई मौखिक शिकायत में बताया गया कि वर्ष–2021 में राशन डीलर से हुई आपसी विवाद के बाद उनका PH राशन कार्ड को निरस्त कर दिया गया। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी–सह–पणन पदाधिकारी, बरवाडीह भी मानते हैं कि कार्ड का रद्द होना अनुचित था। वर्ष–2021 के अक्टूबर माह में शिकायतकर्ता का हरा राशन कार्ड बना दिया गया। बरवाडीह के पणन पदाधिकारी, श्री अनुज कुमार का कहना है कि उन्होंने शिकायतकर्ता से आग्रह किया कि वे पिछला बकाया अनाज ले लें और अब हरा कार्ड से प्राप्त होने वाले अनाज नियमित तौर पर प्राप्त करें, लेकिन शिकायतकर्ता ने मना कर दिया। आयोग शिकायतकर्ता से सहमत है और शिकायतकर्ता की इस बात की प्रशंसा करता है कि उन्होंने अपने अधिकार के लिये आवाज उठाई, और अधिकारियों की करतूत आयोग के सामने लाईं। आयोग स्पष्ट तौर पर मानता है कि अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा लाभुकों को नहीं भुगतने दे सकता है। आयोग अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार को निर्देश देता है कि इस सम्बन्ध में जाँच कर आयोग को प्रतिवेदित करें कि किस कारण से और किस परिस्थिति में शिकायतकर्ता का राशन कार्ड निरस्त किया गया। सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पहचान कर विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने की अनुशंसा की जाए। इस बीच अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार को आयोग निर्देश देता है कि शिकायतकर्ता का राशन कार्ड जिस तिथि से निरस्त किया गया एवं जिस तिथि को हरा राशन कार्ड बनाया गया, इस बीच की अवधि के राशन का सवा गुणा मुआवजा शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराया जाए एवं मुआवजा उपलब्ध कराने का प्रमाण आयोग को भेजा जाए, अन्यथा आयोग अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार के विरूद्ध भी कार्रवाई करने को बाध्य होगा। शिकायतकर्ता श्रीमती किरन देवी का यह भी कहना है कि उनको जो हरा राशन कार्ड निर्गत किया गया है, उसमें परिवार की मुखिया वो स्वयं है, उनका नाम कार्ड में नहीं जोड़ा गया

है। शिकायतकर्ता का कहना है कि 02 माह पहले उनका नाम जोड़ा गया है। ऐसे में आयोग यह मानता है कि डीलर और अधिकारियों के मिलीभगत के बिना यह नहीं हो सकता है। आयोग पणन पदाधिकारी, श्री अनुज कुमार को निर्देश देता है कि पिछला बकाया राशन जो शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है, उसमें उन्हें प्रति माह 5 कि0ग्रा0 राशन जोड़ कर उपलब्ध कराया जाए।

- शिकायतकर्ता श्री लक्ष्मण उराँव, ग्राम–चंदनडीह, प्रखण्ड–लातेहार द्वारा बताया गया कि उन्हें हरा राशन कार्ड में राशन नहीं मिल रहा है। कार्ड को PH कार्ड में परिवर्तित करने का आग्रह किया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बाताया गया कि अभी जनवरी का चावल हरा राशन कार्ड वालों को मिल रहा है। उनके द्वारा बताया गया कि PH में रिक्ति होने पर हरा कार्ड स्वतः PH कार्ड में परिवर्तित हो जायगा।
- ग्राम–कोसी, पो0–टुंगरू, प्रखण्ड–बरवाडीह, जिला–लातेहार के शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि राशन डीलर श्री सुनील सिंह द्वारा कार्ड प्रिंट करने के एवज में 200/– रू0 लिया जा रहा है। आयोग द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार को मामले की जाँच करने का निदेश दिया गया। यह भी निदेशित किया गया कि यदि आरोप सही हो तो डीलर के विरूद्ध FIR दर्ज कराया जाय।
- ग्राम–कोसी, पो0–टुंगरू, प्रखण्ड–बरवाडीह, जिला–लातेहार के शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि राशन कार्ड बनाने के लिये राशन डीलर द्वारा 2500/– रू0 की मांग की जाती है। आयोग द्वारा कहा गया कि लाभुक ऑनलाईन आवेदन करें, प्रक्रिया के तहत् राशन कार्ड बन जाएगा, किसी को भी पैसा नहीं देना है। अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, लातेहार द्वारा बताया गया कि अधिकारियों द्वारा जनता दरबार लगा कर हरा राशन कार्ड बनाने के लिये आवेदन लिया जा रहा है, किन्तु हरा राशन कार्ड के लिये कोई आवेदन नहीं मिल रहा है। इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा अधिकारियों को प्रचार–प्रसार करने का निर्देश दिया गया।
- जन सुनवाई के दौरान प्राप्त 14 शिकायत पत्रों पर वाद सं0–36/2023, 37/2023, 38/2023, 39/2023, 40/2023, 41/2023, 42/2023, 43/2023, 44/2023, 45/2023, 46/2023, 47/2023, 48/2023 एवं 49/2023 प्रारम्भ करते हुए इन पर सुनवाई की गई तथा आवश्यक आदेश पारित करते हुए इनका निष्पादन किया गया।
- शिकायतकर्ता श्रीमती संजू देवी, ग्राम–डेमू, पंचायत–डेमू, जिला–लातेहार ने आयोग को लिखित शिकायत के माध्यम से बताया है कि उनके गाँव के आस–पास कोई जनवितरण प्रणाली की दुकान

नहीं है एवं उन्हें राशन लेने के लिये 07 कि0मी0 दूर जाना पड़ता है। ऐसे में आयोग इस आशय का विभाग से पत्राचार करेगा कि इस मामले का समाधान किया जाए।

- शिकायतकर्ता श्रीमती प्रतिमा देवी, पंचायत–जान्हों, प्रखण्ड–मनिका, जिला–लातेहार द्वारा शिकायत की गई कि उनके पास पहले AAY कार्ड था, जिसे रद्द करवा दिया गया। शिकायतकर्ता सहित अन्य लोगों का आरोप है कि राशन डीलर की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर AAY कार्ड को रद्द करवा कर हरा राशन कार्ड बनाया जा रहा है। आयोग के संज्ञान में यह बात लाई गई कि डीलर मनिका प्रखण्ड के कार्यालय में कम्प्यूटर ऑपरेटर है, जिसका नाम श्री चन्दन तिवारी है। यह भी कि डीलर अपना हित साधने के लिये बड़े पैमाने पर गड़बड़ी कर रहा है। बताया गया कि कम्प्यूटर ऑपरेटर PDS डीलर है। यह हितों के मामले में टकराव का सीधा मामला बनता है। यदि PDS डीलर को PDS से सम्बन्धित डाटा इंट्री करने हेतु कम्प्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्य लिया जा रहा है, तो यह उचित नहीं है। उपायुक्त को इस मामले में कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। साथ ही आयोग उपायुक्त, लातेहार को निर्देश देता है कि पूरे जिले में इस आशय की जाँच कराएँ कि कितने AAY राशन कार्डधारियों का कार्ड निरस्त कर हरा राशन कार्ड बनाया गया है। उपायुक्त, लातेहार 15 दिनों के अन्दर जाँच प्रतिवेदन आयोग को भेजें, क्योंकि बड़ी संख्या में इस आशय की शिकायतें आयोग को मिल रही है।
- शिकायतकर्ता श्रीमती प्रमिला देवी एवं सावित्री देवी, प्रखण्ड–बरवाडीह का कहना है कि राशन डीलर, श्री सुनील सिंह, प्रखण्ड–बरवाडीह द्वारा उनका अंगूठे का निशान लेने के बाद रसीद निकाल कर राशन नहीं दिया जाता है। अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार को निर्देश दिया गया कि सम्बन्धित डीलर श्री सुनील सिंह के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करें एवं जितने लाभुकों से अंगूठे का निशान लगा कर राशन नहीं दिया गया है, उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। चूंकि पंचायत–चुंगरू के राशन डीलर श्री सुनील सिंह के विरूद्ध शिकायतें बड़े पैमाने पर आयोग के समक्ष आ रही है। ऐसे में आयोग अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार को निर्देश देता है कि पंचायत–चुंगरू, प्रखण्ड–बरवाडीह में 07 दिनों तक समूचित प्रचार–प्रसार कराने के बाद एक दिन ग्राम सभा कराएँ एवं सभी लाभुकों से पूछें कि डीलर कितने लाभुकों से अंगूठा लगा कर अनाज की कटौती/गबन करता रहा है। जितने लोगों के गबन की पुष्टि होती है, उन सभी को सवा गुणा मुआवजा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि डीलर मुआवजा उपलब्ध नहीं कराता है, तो सरकारी सम्पत्ति के गबन करने के आरोप में डीलर के विरूद्ध नियमानुकूल वैधानिक कार्रवाई करने की प्रक्रिया प्रारंभ करें।

- कई लाभुकों ने आयोग को यह शिकायत की कि डीलर लाभुकों से यह कहता है कि उनका AAY/PH कार्ड हरा राशन कार्ड में परिवर्तित हो गया है। यह तर्क देकर अनाज देने से मना कर देता है, क्योंकि हरा राशन कार्ड के राशन की प्राप्ति नियमित तौर पर नहीं हो रही है। आयोग यह मानता है कि इस तरह की साजिश/षडयंत्र पूरे राज्य में हो रहा है। अतः इस सम्बन्ध में सख्त निर्णय लेने की आवश्यकता है, ताकि डीलर इस प्रकार के तर्क से लाभुकों को गुमराह नहीं कर पाए। इस सम्बन्ध में विभागीय सचिव से पत्राचार किया जाएगा।

6. लातेहार जिला में दिनांक–27.07.2023 को अपराह्न 02.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक जिले के पंचायतों के मुखिया के साथ संवाद।

- दिनांक–27.07.2023 को अपराह्न 02.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक लातेहार जिला अन्तर्गत आने वाले विभिन्न पंचायतों के मुखिया के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुखिया के साथ संवाद कार्यक्रम में जिले के 115 में से 83 पंचायतों के मुखिया उपस्थित हुए। संवाद कार्यक्रम के दौरान आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्या के अलावे लातेहार जिले के उप विकास आयुक्त–सह–अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे। सभी पदाधिकारियों द्वारा अपने–अपने विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई।

  आयोग की ओर से सभी मुखियागणों के बीच किट का वितरण किया गया, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित योजनाओं यथा जनवितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से सम्बन्धित जानकारी दी गई है।

7. लातेहार जिला अन्तर्गत आने वाले विभिन्न पंचायतों के मुखियागण द्वारा उठाये गये मामलों का समाधान।

- मुखियागण द्वारा बताया गया कि कई बार पंचायत में निरीक्षण करते समय पाया गया कि लाभुकों का अंगूठा नहीं लगता है एवं उन्हें राशन नहीं मिल पाता है। इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा कहा गया कि यदि किसी लाभुक का अंगूठा नहीं लगता है, तो अपवाद पंजी के माध्यम से राशन देने

का प्रावधान है। यदि डीलर राशन देने से मना करता है, तो लिखित रूप में आयोग के वाट्सएप्प नं0 पर शिकायत दर्ज करें।

- जिले के कई लोगों का राशन कार्ड नहीं बन पाने के मामले में आयोग द्वारा हरा राशन कार्ड के लिये आवेदन देने हेतु कहा गया।
- चन्दवा प्रखण्ड के पंचायत में डीलर द्वारा अंगूठा लगवा कर राशन नहीं दिये जाने एवं प्रखण्ड में नेटवर्क की भी समस्या के संबंध में आयोग द्वारा कहा गया कि अंगूठा लगाने के समय ही राशन का उठाव कर लें। जहाँ नेटवर्क की समस्या है, वहाँ अपवाद पंजी के माध्यम से राशन देने का प्रावधान है।
- ग्राम+पंचायत–बालु, प्रखण्ड–बालुमाथ में 10 कि0मी0 के दायरे में कोई राशन डीलर नहीं रहने के मामले में आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में विभाग से पत्राचार किये जाने की बात कही गई।
- राशन डीलर द्वारा गोदाम से राशन कम राशन मिलने की बात कहे जाने एवं नेटवर्क की समस्या रहने के मामले में आयोग द्वारा बताया गया कि डीलर के पास पूर्व का बैलेंस अनाज होने के कारण वो ऐसा कहता है, किन्तु लाभुकों को अनाज कम नहीं मिलना चाहिए। जहाँ नेटवर्क की समस्या है, वहाँ अपवाद पंजी के माध्यम से राशन वितरण किया जाना है।

8. आयोग के अध्यक्ष का संबोधन

- झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी द्वारा दोनों जिलों (गढ़वा एवं लातेहार) के मुखिया से संवाद कार्यक्रम में उपस्थित मुखियागण को संबोधित करते हुए कहा गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित पूरी व्यवस्था पंचायत के मुखिया पर ही टिकी हुई है। जिस प्रकार नींव मजबूत होगा, तो इमारत भी मजबूत होगी। उनके द्वारा कहा गया कि मुखिया समाज के नींव होते हैं, वे सशक्त और जागरूक होंगे, तभी आम जनता भी सशक्त और जागरूक हो पायेगी, योजनाएँ धरातल पर उतर सकेगी एवं कोई भी लाभुक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के लाभ से वंचित नहीं होंगे। अधिनियम के अन्तर्गत संचालित योजनाएँ समाज के गरीब एवं निचले स्तर के लोगों के लिये है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित विभिन्न योजनाएँ संचालित है, किन्तु जानकारी एवं जागरूकता के अभाव में लाभुकों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुँच पा रहा

है। अध्यक्ष द्वारा मुखियागणों से कहा गया कि निगरानी समिति में सम्बन्धित पंचायत के मुखिया उस समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। जिले में संचालित योजनाओं की निगरानी करना मुखिया की ही जिम्मेवारी है। आम जनता को जागरूक एवं सशक्त बनाना तथा अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना ही इस संवाद का मुख्य उद्देश्य है। इसलिये आयोग ने अपना टैग लाईन बनाया है– ***"अधिकार जानें, अधिकार मांगे"***। जिले के असहाय, एकल व्यक्ति, विधवा महिला, विकलांग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों तक खाद्य सुरक्षा का लाभ पहुँच सके, यह सुनिश्चित करने में मुखिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। जिन जिलों के अधिकारी संवेदनशील नहीं हो तो ऐसे में मुखियागण की जिम्मेवारी है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से सम्बन्धित शिकायतों को आयोग के समक्ष लाएँ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित योजना में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाये जाने अथवा किसी प्रकार की शिकायत होने पर आयोग के वाट्सएप्प नंबर–9142622194 पर शिकायत दर्ज करने का आग्रह किया गया।

- आयोग के अध्यक्ष ने अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी को विशेष निर्देश दिया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी प्रावधानों की स्पष्ट जानकारी वाले होर्डिंग्स और अन्य माध्यमों से प्रचार–प्रसार कर लोगों को जागरूक करें। यथा संभव जनवितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन, आंगनबाड़ी केन्द्र एवं कुपोषण उपचार केन्द्र आदि से सम्बन्धित होर्डिंग्स पंचायत भवनों में लगाना सुनिश्चित करवायें।

- आयोग के अध्यक्ष द्वारा सभी मुखियागणों से अपने पंचायत के किसी सार्वजनिक स्थान पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित योजना यथा–जनवितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन योजना, समेकित बाल विकास योजना एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से सम्बन्धित होर्डिंग्स/पोस्टर लगाने एवं उसमें खाद्यान्न तथा पोषाहार से सम्बन्धित प्रत्येक पहलुओं को अंकित करने का अनुरोध किया गया। यह भी अनुरोध किया गया कि जनवितरण प्रणाली वितरण केन्द्र के बाहर बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करें, जिसमें राशन का आवंटन, राशन वितरण की तिथि, पात्रता के अनुसार राशन का वितरण एवं लाभुकों की सूची अंकित करायें। इसी तरह विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन एवं आंगनबाड़ी केन्द्र के बाहर भी बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करें, जिसमें सरकार के प्रावधान के अनुसार मेन्यू के

आधार पर मिलने वाला मध्याह्न भोजन/पोषाहार, खाने की पौष्टिकता, लाभुकों की संख्या आदि अंकित हो।

- आयोग के अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि राशन कार्ड बनाने की एक प्रक्रिया है, जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा भी हरा राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। रिक्ति नहीं रहने के कारण राशन कार्ड भी निर्गत नहीं किया जा सकता है। पंचायत के मुखिया को भी इस बात का संज्ञान होगा कि कई सम्पन्न परिवारों के पास राशन कार्ड है, जबकि गरीब एवं असहाय व्यक्तियों का कार्ड नहीं बन पा रहा है। इस हेतु सभी मुखियागण से अनुरोध किया गया कि राशन कार्ड के लिये जो लोग अयोग्य हैं एवं यदि उनके पास राशन कार्ड है, तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर, उनका राशन कार्ड सरेंडर कराते हुए, योग्य लोगों को राशन कार्ड बनवाने में सहयोग करें। राशन डीलर भी हमारे समाज के अंग हैं। कई बार डीलर द्वारा कहा जाता है उन्हें गोदाम से ही अनाज कम मिलता है, तो ऐसे में डीलर जिले के पदाधिकारियों के समक्ष शिकायत दर्ज करें, समाधान नहीं होने पर आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करें। मुखिया समाज की अहम कड़ी हैं, उनके सहयोग के बिना यह कार्य नहीं किया जा सकता है। इसलिये आप जागरूक होंगे, तो समाज भी जागरूक होगा। सभी मुखियागण से अनुरोध किया गया कि वे लाभुकों को उनके अधिकार दिलाने में सहायता करें।
- आयोग के अध्यक्ष द्वारा सभी मुखियागण को संबोधित करते हुए कहा गया कि यदि किसी की मौत भूख से होती है तो इसकी जवाबदेही मुखिया की ही होगी। किसी की मौत भूख से नहीं हो, इसलिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 का गठन किया गया है। निगरानी समिति के अध्यक्ष होने के नाते आप मुखियागण नियमित रूप से समिति की बैठक करायें एवं बैठक से सम्बन्धित कार्यवाही की प्रति आयोग को भी दें। अधिकारियों के सहयोग से मुखियागण योजनाओं को सही ढंग से लागू करवाने में सहयोग करें एवं अपने पंचायत में भ्रष्टचार को पनपने न दें। किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास लिखित रूप में प्रमाण के साथ शिकायत दर्ज कराएँ। यदि उनके द्वारा 30 दिनों के अंदर आपके शिकायत का निवारण नहीं किया जाता है अथवा उनके द्वारा किये गये कार्रवाई से शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं हैं, तो शिकायतकर्ता झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के वाट्सएप्प नंबर – 9142622194 या ईमेल – jharfoodcommission@gmail.com पर पूर्व में किये गये शिकायत की प्रति एवं अन्य प्रमाण के साथ अपनी अपील दर्ज करा सकते हैं। मुखियागण से अनुरोध किया गया कि आपसी रंजिश/आपसी झगड़ा में किसी की शिकायत न करें, शिकायत प्रमाणिक होगी, तभी आयोग द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

- आयोग के अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि भोजन लोगों का मौलिक अधिकार है। किसी की मौत भूख से न हो एवं किसी के समक्ष भोजन का संकट न हो, इसलिये सरकार द्वारा झारखण्ड आकस्मिक खाद्यान्न कोष नामक फंड के तहत् प्रत्येक पंचायत के मुखिया को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के माध्यम से 10,000/– रू0 की राशि उपलब्ध कराई जाती है। इसके अन्तर्गत असहाय/एकल व्यक्ति/विधवा/समाज के कमजोर वर्ग अथवा जिन लोगों के सामने भोजन का संकट हो, उन्हें बाजार दर पर अनाज खरीद कर उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। झारखण्ड आकस्मिक खाद्यान्न कोष के माध्यम से मुखिया को प्राप्त 10,000/– रू0 की राशि समाप्त होने पर, वे प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचित करें, उन्हें पुनः 10,000/– रू0 का फंड उपलब्ध कराया जाएगा। सभी मुखियागण से अनुरोध किया गया कि वे अपने–अपने क्षेत्र में विशेष ध्यान दें कि किन्हीं को अनाज से सम्बन्धित कोई समस्या न हो।
- आयोग के अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि **"एक राष्ट्र एक राशन कार्ड"** योजना के तहत् ऑनलाईन दुकान से सम्बद्ध कोई भी लाभुक देश भर में किसी भी राज्य के किसी जिले के किसी प्रखण्ड अथवा पंचायत एवं किसी भी ऑनलाईन जनवितरण प्रणाली केन्द्र से राशन का उठाव कर सकता है। लाभुक द्वारा राशन के लिये अंगूठा लगाया जाता है, तो ई–पॉस मशीन से निकलने वाले पर्ची में अंकित मात्रा के अनुरूप उन्हें राशन दिलाना मुखियागण सुनिश्चित करें। जिन लाभुकों का अंगूठा मशीन में नहीं लगता है, उनके लिए डीलर को अपवाद पंजी में संधारित करने का विभागीय निदेश है। अपवाद पंजी की मुखिया अपने स्तर से जाँच करें कि कहीं कोई गड़बड़ी न कर सके। मुखियागण लाभुकों को बतायें कि किसी भी हाल में एडवांस में अंगूठे का निशान नहीं लगायें, इससे राशन वितरण में गड़बड़ी होने की आशंका बनी रहती है। PVTG के तहत् लाभुक को प्रत्येक माह सील बंद पैकेट में 35 कि0ग्रा0 राशन निःशुल्क उनके घर तक पहुँचाने का प्रावधान है, इसमें किसी प्रकार की कोई राशि लाभुकों से नहीं ली जाती है।

- आयोग के अध्यक्ष द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि डीलर को सस्पेंड करने अथवा उनके विरूद्ध कार्रवाई करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी लाभुकों को किस डीलर के साथ संबद्ध किया गया है, इसकी सूचना लाभुकों को ससमय दी जाए। ताकि लाभुकों को राशन निर्बाध रूप से मिल सके।

- प्रत्येक विद्यालय के बाहर मध्याह्न भोजन से सम्बन्धित सूचना पट्ट लगाने एवं मेन्यू के अनुसार बच्चों को मध्याह्न भोजन देने का प्रावधान है। आयोग के अध्यक्ष द्वारा सभी मुखियागण से अनुरोध किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि यदि विद्यालय में सूचना पट्ट में मेन्यू नहीं लगा हुआ हो एवं बच्चों को मेन्यू के अनुसार मध्याह्न भोजन नहीं दिया जा रहा हो, तो वे जिले के अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी अथवा राज्य खाद्य आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करायें। साथ ही मध्याह्न भोजन गैस सिलेंडर में ही बने, यह भी आप मुखिया को ही सुनिश्चित करना है।
- आयोग के अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि आंगनबाड़ी केन्द्र के बाहर भी सूचना पट्ट में मेन्यू के अनुरूप दिये जाने वाले पोषाहार एवं अन्य योजनाओं से सम्बन्धित जानकारी प्रदर्शित कराना एवं केन्द्र की निगरानी करना मुखिया की जिम्मेवारी है। आंगनबाड़ी केन्द्र में गर्भवती महिलाओं/धात्री माताओं को दी जाने वाली सुविधा के सम्बन्ध में जागरूक करने का भी कार्य मुखियागण को ही करना है। मुखियागण से अनुरोध किया गया कि वे अपने क्षेत्र में वैसे बच्चों की पहचान करें, जो बच्चे अति कुपोषित हैं, उम्र के अनुसार उनका लंबाई न बढ़ना अथवा कम वजन हो, तो ऐसे बच्चों के माता–पिता को इन बच्चों को कुपोषण उपचार केन्द्र में भर्ती कराने हेतु प्रेरित करें। उनका ईलाज ***"कुपोषण उपचार केन्द्र (MTC)"*** में करने का प्रावधान है। सरकार द्वारा लाभुकों के लिए योजनाएँ बनाई जाती है। किन्तु यदि इसका लाभ जनता तक सही ढंग से नहीं पहुँच पा रही है तो इसकी निगरानी मुखियागण को ही करना है। संवाद करने का यही मुख्य उद्देश्य है कि सरकार की योजनाएँ आपके माध्यम से जनता तक पहुँच सके।
- आयोग के अध्यक्ष द्वारा घोषणा की गई कि राज्य के हर जिले के ऐसे पंचायतों के मुखिया जो अपने पंचायत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 को पारदर्शी एवं प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करायेंगे, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। प्रत्येक जिला से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार दिये जाने का निर्णय लिया गया है। आयोग के स्थापना दिवस 9 दिसम्बर के दिन कार्यक्रम आयोजित कर राज्य भर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मुखिया को पुरस्कृत और सम्मानित किया जायेगा।

9. आयोग की सदस्या का संबोधन

- आयोग की माननीय सदस्या, श्रीमती शबनम परवीन द्वारा सभी मुखियागण को संबोधित करते हुए बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत् जनवितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आदि कार्यक्रम संचालित है। गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी केन्द्र में निबंधन कराने के बाद उन्हें तीन किस्तों में 5000.00 रू0 एवं जननी सुरक्षा के तहत् 1000.00 रू0 दिये जाने का प्रावधान है। साथ ही आंगनबाड़ी केन्द्र में गर्भवती महिलाओं एवं

धात्री माताओं को Food Packet पोषाहार के रूप में दिये जाने एवं 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चों को पोषाहार दिये जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार विद्यालयों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन दिये जाने प्रावधान है। जनवितरण प्रणाली के तहत् ई–पॉस मशीन से निकलने वाले पर्ची में

जितना राशन अंकित है, उतना राशन प्राप्त करें। किसी कार्डधारी को अनाज कम नहीं मिले, विद्यालय में बच्चों को मेन्यू के अनुसार मध्याह्न भोजन मिले, आंगनबाड़ी केन्द्रों में गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं एवं बच्चों को योजना का लाभ निर्बाध रूप से मिल सके, यह मुखिया को ही सुनिश्चित करना है।

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत योजना को लागू करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, इससे निपटने के लिए मुखियागण का सहयोग अपेक्षित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत् जनवितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आदि से सम्बन्धित गड़बड़ी होने पर इसकी शिकायत जिला स्तर पर अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी एवं प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी आदि के समक्ष शिकायत दर्ज करें। समाधान नहीं होने पर आयोग के वाट्सएप्प नं0 पर शिकायत दर्ज करें।

इसके साथ गढ़वा एवं लातेहार भ्रमण का कार्यक्रम समाप्त हुआ।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Vinod Sir\Chairman's visit\Garhwa & Latehar\Visit report of Garhwa & Latehar.docx17